न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10 / 2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. मोहरबाई पुत्री स्व. रामधन पत्नि स्व. रामदीन जाति मीना निवासी पीलोडी तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नि स्व. मनोहरी
2. प्रेम देवी पत्नि स्व. मनोहरी
   समस्त जाति मीना निवासी पीलोडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री यशवन्त मीना पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय दावा उनवानी प्रकरण मोहरबाई बनाम गुलाब देवी दावा मुकदमा संख्या 38 / 2024 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरबाई बनाम गुलाब देवी मुकदमा नम्बर 25 / 2024 आगामी तारीख पेशी 12.06.2024)

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांकः-23.08.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरबाई बनाम गुलाब देवी अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के यहां लम्बित है, जो प्रार्थना पत्र टी. आई. की बहस में है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सरेआम गांव में प्रार्थीया से दिनांक 10.06.2024 को यह कहा है पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय हमारे मिलने वाले है तथा उनसे हमारी बात हो गई वे दिनांक 12.06.2024 को उक्त प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष में कर देंगे। इसलिये प्रार्थीया को उप जिला कलक्टर सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय के चैम्बर व आवास पर मिलते जुलते देखा है, जिससे प्रार्थीया को पूर्ण विश्वास है कि उप जिला कलक्टर सिकराय व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सरेआम गांव में प्रार्थीया से कहा है कि हमारी उप जिला कलक्टर सिकराय से बात हो गई है। उक्त प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष में होगा। यदि उक्त प्रकरण उप जिला कलक्टर सिकराय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण का निर्णय हमारे विरूद्ध हो जायेगा एवं प्रार्थीया न्याय से वंचित हो जायेगी। अतः न्याय हित में निष्पक्ष सुनवाई हेतु उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरबाई व गुलाब देवी की पत्रावलियों को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उप जिला कलक्टर सिकराय के विरूद्ध लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय की हमसे किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं है। प्रकरण टी. आई. की बहस में नियत है। यदि उप जिला कलक्टर सिकराय से समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 38 / 2024 व टी. आई संख्या 25 / 2024 को अन्यत्र किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी में अंकितानुसार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध उप जिला कलक्टर सिकराय की तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत कर उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायलय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है।
ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण मोहरबाई बनाम गुलाब देवी दावा मुकदमा संख्या 38 / 2024 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मोहरबाई बनाम गुलाब देवी मुकदमा नम्बर 25 / 2024 को न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय से न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर एवं विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया जावे। उप जिला कलक्टर सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 09.09.2024 से पूर्व उप जिला कलक्टर बांदीकुई को भिजवाई जावे। उभयपक्षकारान प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 09.09.2024 को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में स्वयं अथवा जरिये [illegible] सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल[illegible] से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official